“समाधान समारोह” – भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित विशेष लोक अदालत

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

1. “समाधान समारोह 2026” क्या है?

न्याय को घर-घर तक सरल एवं सुलभ बनाने तथा सहमति से न्याय की भावना को मूर्त रूप देने के उद्देश्य से भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा “समाधान समारोह 2026” का आयोजन कर रहा है किया जा रहा है। यह 21 अप्रैल 2026 से प्रारंभ होगा तथा इसका समापन 21, 22 एवं 23 अगस्त 2026 को विशेष लोक अदालत के आयोजन के साथ होगा।

2. “समाधान समारोह 2026” का उद्देश्य क्या है?

इस समाधान समारोह (विशेष लोक अदालत) के आयोजन का लक्ष्य सर्वोच्च न्यायालय में लंबित वैसे मामले जो आपसी सहमति तथा सुलह से निष्पादन योग्य है, उनको सुलह-सहमति से निष्पादित करना है।

4. विशेष लोक अदालत कहाँ आयोजित होगी?

विशेष लोक अदालत का आयोजन सर्वोच्च न्यायालय परिसर में किया जाएगा।

5. किन मामलों को इसमें शामिल किया जाएगा?

सर्वोच्च न्यायालय में लंबित पारिवारिक विवाद, दुर्घटना दावा, चेक बाउंस, भू-अधिग्रहण, आपराधिक सुलहनीय मामले,श्रम संबंधी विवाद तथा ऐसे मामले जो आपसी सहमति से निष्पादन योग्य है उन्हें शामिल किया जायेगा।

6. किसी मामले को विशेष लोक अदालत में कैसे शामिल किया जा सकता है?

इसके लिए एक गूगल फॉर्म उपलब्ध कराया गया है, जिसे भरकर आवेदन किया जा सकता है। इसे भरना अत्यंत सरल है।

7. गूगल फॉर्म कहाँ उपलब्ध है?

यह सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट (https.//www.sci.gov.in) पर उपलब्ध है।

8. क्या मेरे मामले का निष्पादन मेरी सहमति से होगा?

जी हाँ। दोनों पक्षों की सहमति से ही मामले का निष्पादन होगा।

9. क्या सुलह के प्रयास हेतु बैठकें आयोजित की जाएंगी?

जी हाँ, लोक अदालत से पूर्व सुलह का प्रयास करने हेतु बैठकें आयोजित की जाएंगी।

10. ये सुलह बैठकें कहाँ आयोजित होंगी?

इन सुलह हेतु प्रयास करने वाली बैठकों का आयोजन राज्य, जिला, तालुका एवं उच्च न्यायालय स्तर के विधिक सेवा प्राधिकरणों के मध्यस्थता केन्द्रों में किया जायेगा।

11. सुलह के प्रयास में मदद कौन करेगा?

प्रशिक्षित मध्यस्थ तथा विधिक सेवा प्राधिकरणों के अधिकारी इस प्रयास में मदद करेंगे ।

12. क्या इन बैठकों में व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य है?

पक्षकार इन बैठकों में सशरीर अथवा आभासी (ऑनलाइन) माध्यम से भाग ले सकते हैं।

13. लोक अदालत पूर्व-सुलह चर्चा के दौरान क्या होगा?

पूर्व-सुलह चर्चा के दौरान आपसी सहमति एवं वार्ता से समाधान तलाशने का प्रयास किया जाएगा।

14. इसमें कौन भाग ले सकता है?

मामले के पक्षकार एवं उनके अधिवक्ता इन सुलह वार्ता में भाग ले सकते हैं।

16. सहायता या जानकारी के लिए किससे संपर्क किया जा सकता है?

सहायता अथवा जानकारी हेतु वन स्टॉप सेंटर (वार रूम) से संपर्क किया जा सकता है:

- वन स्टॉप सेंटर । वॉर रूम : 011-23116464, 011-23116465
- वॉर रूम इंचार्ज: 011-23112428, 011-23112528
- सी.आर.पी निदेशक: 011-231115652
- ईमेल: speciallokadalat2026@sci.nic.in